न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 492/16
(आरसीएमएस संख्या 2016/00284)

निर्णय दिनांकः– 28–01–2020

1. प्रेमसिंह
2. जसवन्तसिंह
3. सुरेन्द्र सिंह

पिसरान गजराजसिंह जाति राजपूत निवासी ठेलासर तहसील व जिला चूरू।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 29–07–1995
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः–

1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 29–07–1995 जिसके द्वारा अपीलांट्स की माता का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर सबूत पेश नहीं होने के कारण खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स की माता द्वारा तहसील कोलायत में चक 3 केकएचएम के मुरब्बा नम्बर 89/62 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत

मातहत द्वारा अपीलांट्स की माता को भूमि आवंटन का पात्र भी मान लिया गया था। परन्तु बाद में पर्याप्त सबूत पेश नहीं करने के कारण अपीलांट्स की माता के आवंटन प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया।

इस संबंध में अपीलांट्स की माता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट्स की माता ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा जब भी आवंटित किया जायेगा आपको जरिये नोटिस सूचित कर दिया जायेगा। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स की माता को बिना नोटिस जारी किये व बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये अपीलांट्स की माता का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स की माता को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलाट्स को उनकी माता की सक्षमता के अनुसार अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–07–1995 के विरूद्व अपील दिनांक 09–03–16 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट्स की माता का आवंटन प्रार्थना पत्र पर्याप्त सबूत पेश नहीं करने के कारण खारिज किया चुका है। अतः अब अपीलांट्स किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–07–1995 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 09–03–2016 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट्स की माता उगम कंवर बेवा गजराजसिंह ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत करते हुए चक 03 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 89/62 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट्स की माता द्वारा पर्याप्त सबूत पेश नहीं करने के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट्स की माता का आवंटन प्रार्थना पत्र सही खारिज किया है तथा खारिज की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी। जो विधि सम्मत है। प्रकरण में अपीलांट्स की माता द्वारा आवेदित भूमि पर अपीलांट्स के अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। विशेष आवंटन नियमों में खारिज पत्रावली पर आवेदक के वारिसान को भूमि आवंटन किये जाने के प्रावधान निहित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोइ अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 29–07–1995 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 29–01–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सोनकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.13 16:35:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: